

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

अपिलेख नंबर संख्या- **458/19-2020**

दिनांक	आदेश फलक	अभि
<p>06-3-20</p>	<p>सर का प्रकार-बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>आरखण्ड सरकार के आदेश-2074/रख, दिनांक-13.05.2016 सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-सहायक/निर्देश-119/85/2308/रख, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय अधिसूचना संख्या-914/रख, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजकूत खाल भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जीव प्रणम की गयी। जीव के रूप में इनका राजस्व कर्मचारी एवं अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि-</p> <p>संख्या- <u>2181</u> रकबा- <u>1.00</u> एकड़ की भूमि जो गैरमजकूत खाल, अनामदार बिहार (आरखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी इस नोटा के पृष्ठ-11 के जिल्द संख्या- <u>1</u> के पृष्ठ संख्या- <u>322</u> पर जमाबंदी रियाज <u>राजि मंडियान पति-शुक्ल मांसी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>इन्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जीवोपरान्त उपयुक्त विवरणी की भूमि के विकट कायम जमाबंदी को सदिग्ध प्रतिबंधित किया गया है।</p> <p>इन्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जीव प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपयुक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोटकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनमा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उपरोक्त निजी लाभ एवं राज्य को हानि काहित बनना है।</p> <p>प्रथम दृष्टया उपयुक्त से स्पष्ट होता है कि उपयुक्त विवरणी की, जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जीव किया जाना संघनीय प्रतीत होता है।</p> <p>आएव संबंधित जमाबंदी रियाज को नोटिस निर्गत कर उपयुक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुसंसित किया जाय।</p> <p>अपिलेख दिनांक- _____ को उपस्थापित करें।</p>	<p>अभि</p>

06/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमाबंदी रैयत/जमाबंदी रैयत के वंशज के द्वारा उक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (आरखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उपसमाहर्ता को भेजे।

20/3/20

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर